न्यायालय अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारीः— **प्रकाश चन्द्र चौधरी** आर.ए.एस.

अपील सं. 06 / 2018

अनवानः—

श्रीधर ईशर पुत्र स्व0 श्रीमती विद्याधर ईसर बेवा चन्द्रधर ईसर जाति ब्राहम्णसा. कोलकाता जरिये मुख्त्यार जगसीर सिंह पुत्र सोहन सिंह जाति जटसिख सा.हनुमानगढ जं तह0 व जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार(राजस्व)हनुमानगढ।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.01.2018 बअदालत तहसीलदार हनुमानगढ ।

उपस्थितः— 1 श्री ओम प्रकाश मोदी अभिभाषक अपीलांट।
2 श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक।

—:निर्णयः—

दिनांकः —19.07.2018

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलांट की माता के नाम से चक 7 एसएनएम में 16 बीघा भूमि दर्ज रिकार्ड है। अपीलांट की माता ने अपने जीवनकाल में दिनांक 16.5.95 को उक्त 16 बीघा की वसीयत अपीलांट के पक्ष में करवा दी थी। अपीलांट की माता का स्वर्गवास 10.12.95 को हो चुका है। वसीयतनामा के आधार पर इन्तकाल दर्ज करने हेत तहसीलदार हनुमानगढ के समक्ष प्रा0पत्र पेश किया। तहसीलदार हनुमानगढ ने गलत व विधि विरूद्ध रूप से अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। अपीलांट अपनी माता की वसीयत के आधार पर माता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अधिकारी है व अपने नाम से इन्तकाल दर्ज करवाने का अधिकारी है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर तहसीलदार हनुमानगढ का निर्णय दिनांक 10.1.18 निरस्त कर मुताबिक वसीयतनामा विद्याईसर की भूमि का इन्तकाल अपीलांट के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 की ओर से श्री सोहन लाल सहारण राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये।

बहस सुनी गयी। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए तर्क किया कि गलत व विधि विरूद्ध अपीलाधीन निर्णय को अपास्त कर मुताबिक वसीयत इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये जावे।

अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़

Web Copy - Not Official

राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में तर्क किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत् है। इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में अंकित किया है कि श्री चन्द्रधर ईसर अथवा श्रीमती विद्या ईसर के वारिसान की सही जानकारी न होने की दशा में विरास्तन नामान्तरण अथवा वसीयतानुसार नामान्तरण पर लिया गया निर्णय विधि विरूद्ध होगा। जब तक नियमानुसार सक्षम न्यायालय से सही वारिसान का निर्णय नहीं हो जाता तब तक श्रीमती विद्याधर ईसर बेवा चन्द्रधर ईसर के नाम चक 7 एसएनएम में दर्ज 16 बीघा का विरास्तान/वसीयत का नामान्तरण नहीं किया जा सकता।

अभिभाषक अपीलांट का यह भी कथन है कि कोई आराजी राजस्व रिकार्ड में बिना नाम के दर्ज नहीं रह सकती । इस प्रकरण में श्रीमती विद्याधर ईसर की मृत्यु होनी सिद्ध होती है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार को भू राजस्व अधिनियम की धारा 134 सपठित धारा 135 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करनी चाहिए थी।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.01.18 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार हनुमानगढ को रिमाण्ड किया जाता है कि वे भू राजस्व अधिनियम की धारा 134 सपठित 135 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 व अन्य सुसंगत विधि प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की विधि सम्मत् रीति से जांच कर उचित निर्णय पारित करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हनुमानगढ को भेजी जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

(प्रकाश चन्द्र चौधरी)
अपर जिला कलक्टर
हनुमानगढ़